



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या-पं0नि0 30-23/2018- 1912

प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
गोपालगंज।

पटना, दिनांक- 22.4.2024

विषय:- LPA No.- 352/2024 (मुन्नी खातुन बनाम राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक-20.04.2024 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग:- आयोग का पत्रांक 1743 दिनांक 05.04.2024
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रखंड फुलवरिया के प्रमुख एवं उप प्रमुख के रिक्त पद पर दिनांक 22.04.2024 को निर्वाचन कराने का निदेश दिया गया था।

उल्लेखनीय है कि आयोग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ई-मेल संवाद दिनांक-20.04.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 20.04.2024 को LPA No.- 352/2024 (मुन्नी खातुन बनाम राज्य एवं अन्य) में सुनवाई के क्रम में दिनांक 22.04.2024 को गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रखंड फुलवरिया के प्रमुख एवं उप प्रमुख के रिक्त पर पद होने वाले निर्वाचन को स्थगित कर दिया गया है। (ई0मेल संवाद संलग्न)

अनुरोध है कि माननीय न्यायालय के न्यायदेश का अनुपालन की जाय एवं तत्संबंधी निदेश से सभी संबंधित को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

सचिव।

ज्ञापांक पं0नि0 30-23/2018- 1912

पटना, दिनांक - 22.4.2024.

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार/अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना/आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर एवं पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।